PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 03

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।
सत्र वाद संख्या- 1798/2023
राज्य **बनाम** धनीराम आदि

नाम साक्षीः डा० ए०के० कनौजिया पुत्र श्री चेतराम	अपराध संख्या-197/2013
उम्रः लगभग 64 वर्ष, पेशाः चिकित्सक	धारा- 308, 336, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः यू०एच०एम० (उर्सला) अस्पताल, जनपद-कानपुर नगर	थाना-ककवन, कानपुर नगर।

दिनांकः-04.05.2026

मैं **साक्षीः डा० ए०के० कनौजिया पुत्र श्री चेतराम, उम्रः लगभग 64 वर्ष, पेशाः चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः यू०एच०एम० (उर्सला) अस्पताल, जनपद-कानपुर नगर** यह शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि.....

1. दिनांक 01.11.2013 को मेरी ड्यूटी सी०एच०सी० ककवन में चिकित्साधिकारी के पद पर थी। उसी दिन मजरुब शीलू यादव पुत्र मनीराम निवासी ग्राम खैरवापुर उठ्ठा थाना ककवन उम्र लगभग 17 वर्ष, मनोज कुमार पुत्र धनीराम निवासी उपरोक्त उम्र लगभग तीस वर्ष व यशोदा पुत्री मनीराम निवासी उपरोक्त उम्र लगभग पन्द्रह वर्ष को मेरे पास मेडिकल परीक्षण हेतु होमगार्ड शिवशंकर सिंह थाना ककवन लेकर आए थे।

2. उसी दिन मेरे द्वारा मजरुब मनोज कुमार का मेडिकल परीक्षण समय सुबह 11:30 बजे शुरु किया गया था। मजरुब की बायीं बांह पर काला तिल का निशान मौजूद था। मजरुब के शरीर पर निम्नवत चोटें थीं-

(A) एक फटा हुआ घाव 5 X 0.5 CM X BONE DEEP जो कि सिर के बायीं तरफ PERITAL REGION में 11 CM बायें कान के ऊपर मौजूद था। मार्जिन IRREGULAR थी।

मजरुब को आईं उक्त चोट ताजी थी जो कि HARD AND BLUNT OBJECTS से आना संभव थीं। चोट सं०-A का एक्सरे कराने के लिए मजरुब को सलाह दी गई थी।

3. मेरे द्वारा मजरुब शीलू यादव का मेडिकल परीक्षण समय दोपहर 12:45 बजे शुरु किया गया था। मजरुब की पीठ पर दायीं तरफ काला तिल का निशान मौजूद था। मजरुब के शरीर पर निम्नवत चोटें थीं-

(A) फटा हुआ घाव 4 X 0.5 CM X SCALP DEEP जो कि सिर के दाहिनी तरफ FRANTOPERITAL REGION में 8.5 CM दायीं भौंह के ऊपर मौजूद था एवं 12 से०मी० दायें कान के ऊपर मौजूद था। घाव की मार्जिन IRREGULAR थी।

(B) नीलगू निशान 5 X 4 CM जो कि दायीं फोरआर्म पर LATERAL POSTERIOR SURFACE पर दो से०मी० दायीं कलाई के ऊपर मौजूद था। नीलगू निशान का आकार CYLINDRICAL था।

मजरुब को आईं उक्त दोनों चोटें ताजी थीं जो कि HARD AND BLUNT OBJECTS से आना संभव थीं। चोट सं०-A का एक्सरे कराने के लिए मजरुब को सलाह दी गई थी।

4. मेरे द्वारा मजरुबा यशोदा का मेडिकल परीक्षण समय दोपहर 01:15 बजे शुरु किया गया था। मजरुबा की गले के पास बायीं तरफ एक काला तिल का निशान मौजूद था। मजरुब के शरीर पर निम्नवत चोटें थीं-

(A) एक फटा हुआ घाव 3 X 0.5 CM X SCALP DEEP जो कि सिर के ऊपरी हिस्से में बीचोंबीच मौजूद था। घाव की मार्जिन IRREGULAR थी।

(B) नीलगू निशान 3 X 2 CM जो कि पीठ के दायीं तरफ SCAPULA के पास मौजूद था।

मजरुबा को आईं उक्त दोनों चोटें ताजी थीं जो कि HARD AND BLUNT OBJECTS से आना संभव थीं।

4. मजरुब मनोज कुमार, शीलू यादव व यशोदा की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **क्रमशः प्रदर्श P-2, प्रदर्श P-3 व प्रदर्श P-4** अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षा द्वारा समस्त अभियुक्तगण

5. मजरुब शीलू व मनोज को एक्सरे के लिए रेफर किया गया था लेकिन कोई एक्सरे रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। मजरुब शीलू, यशोदा व मनोज की चोटें साधारण प्रकृति की थीं इसीलिए मजरुब को रेफर नहीं किया गया था। मैंने मजरुब की कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें मैंने चोटों की प्रकृति साधारण अंकित की है। अगर कोई व्यक्ति सीढियों से फिसलकर गिर जाए तो उक्त चोटें आना संभव हैं।

6. यह कहना सही है कि तीनों मजरुबों को आईं चोटें साधारण प्रकृति की थीं।

7. यह कहना सही है कि मजरुबों को चोटें सीढियों से फिसलकर गिर जाने से आना संभव है।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।